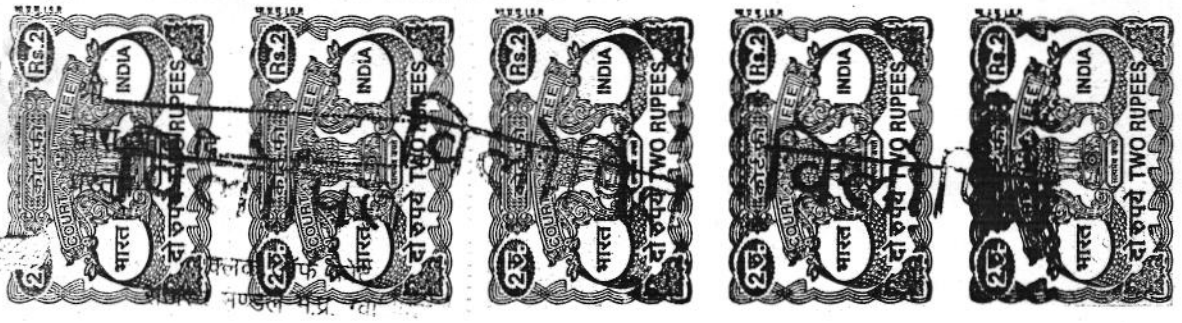

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

निगरानी 768-I-15

श्री .... द्वारा आज दि. 13-6-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वीरन कुशवाहा पुत्र श्री गंगा राम
आयु– 50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
निवासी–स्टेशन रोड निवाडी
जिला टीकमगढ (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार निवाडी
जिला टीकमगढ (म.प्र.)

........अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 09/04/2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी जिला टीकमगढ (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 48/अपील/14.–15 में पारित कर निगरानी कर्ता का पुनः नम्बर पर लेने का आवेदन कों निरस्त किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, श्रीमान तहसीलदार महोदय निवाडी द्वारा प्रकरण कमांक 213/अ–68/13–14 का कारण वताओ सूचनापत्र दिनांक 24/6/14 आवेदक को प्रदान करते हुए सर्वे कमांक 1709 के 15 10 वर्ग फुट पर दुकान वनाकर अतिक्रमण करना वताया गया। जो पटवारी के प्रतिवेदन पर प्रदान किया जाना कहा जाता है। सूचनापत्र का जबाव आवेदक द्वारा प्रदान करते हुए स्पस्ट निवेदन किया कि पटवारी द्वारा प्रतिवेन के पूर्व मौके पर कोई जॉच नही की है न ही प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया है। यह भी निवेदन किया कि पटवारी द्वारा यह स्पस्ट नही किया है कि अतिकमण वाली जमीन की चतुरसीमा क्या है। यह भी स्पस्ट किया कि आवेदक ने कोई अतिकमण नही किया है प्रार्थी ने जो दुकाने निर्मित की हैं वे प्रार्थी की पैत्रिक सम्पत्ति सर्वे कमांक 1711/1 पर निर्मित है। **जबाव** की प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर **प्रदर्श ए–2 से चिन्हित किया गया है।**

2– यह कि, श्री मान तहसीलदार निवाडी द्वारा बिना साक्ष्य लिए, बिना प्रतिवेदन को प्रमाणित कराये दिनांक 08/08/14 को आदेश पारित कर आवेदक का अतिक्रमण माना। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के समक्ष अपील क्रमांक 48/14–15 प्रस्तुत की। अपील की प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर **प्रदर्श ए–3 से चिन्हित किया गया है।**

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 768-एक/2015 जिला टीकमगढ वीरन **विरूद्ध** म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.खरे एवं शासकीय अभिभाषक श्री योगेश पाराशर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के प्रकरण क्रमांक 48/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

31.12.18

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.19

(आर.के. जैन)
सदस्य